उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद सं०– 82/2019

बलराम साव वगै० बनाम तासो देवी एवं झारखण्ड राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
19-01-2022	**आदेश** यह वाद आवेदक बलराम साव पिता स्व0 मुंशी साव वो0 फलगुनी देवी पति बलराम साव निवास ग्राम सौन्दा बस्ती थाना भुरकुण्डा जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर विविध वाद संख्या 04/2017–18/01/2018–2019 बलराम साव बनाम तासो देवी वगै0 में दिनांक 28.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 16 of Mutation Law के तहत आवेदन दायर किया। जिसे अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई एवं द्वितीय पक्ष नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का मामला मौजा जयनगर थाना सं0 25 थाना पतरातु जिला रामगढ़ के खाता न0 07 प्लॉट न0 470 रकवा 0.60 ए0 से संबंधित है। अंचल अधिकारी, पतरातु के प्रतिवेदन के अनुसार विवाद का मुख्य कारण है कि आवेदक के पिता श्री मुन्शी साव पिता हैदर साव को खाता सं०–07 प्लॉट सं०–470 रकबा–0.60 एकड़ भूमि हिस्से में प्राप्त है, जिसे मुन्शी साव द्वारा विभिन्न निबंधित केवाला से निम्नलिखित व्यक्तियों को केवाला कर दिया गया :– (1) फुनगुनी देवी पति बलराम साव को केवाला सं०–470 दिनांक–15.02.1992 में 0.34 एकड़ भूमि का निबंधन किया गया है। परन्तु	

श्रीमती फुनगुनी देवी द्वारा दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवायी गयी। (2) तासो देवी पति सुखसागर साव केवाला सं०–472 दिनांक–15.02.1992 में 0.55 एकड़ भूमि का निबंधन किया गया है। जिसका दाखिल खारिज वाद सं०–379/2014–15 द्वारा दाखिल होकर जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं०–155/VIII में कायम है एवं सरकारी रसीद कट रहा है। (3) सुभाषो देवी पति प्रेमसागर साव को केवाला सं०–471 दिनांक–15.02.1992 में 0.68 एकड़ भूमि का निबंधन किया गया है, परन्तु सुभाषो देवी द्वारा दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवाया गया है। इस तरह विक्रेता द्वारा मात्र 0.60 एकड़ में से 1.57 एकड़ भूमि भिन्न–भिन्न केवाला से निबंधित कर अपने परिवारों में विक्रेता द्वारा छलावा किया गया है। यानि विक्रेता 0.97 एकड़ भूमि गलत एवं फर्जी ढंग से केवाला किया गया है। भूमि पर किसी भी व्यक्तियों को दखल कब्जा नहीं है। चूँकि विक्रेता द्वारा अपने परिवारों में एक ही तिथि को विभिन्न केवाला द्वारा निबंधित किया गया, जिसमें द्वितीय पक्ष सबसे पहले अपना केवाला को दाखिल खारिज करवा लिये एवं प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल खारिज हेतु पूर्व में आवेदन नहीं दिया गया था। अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा मामला को पुर्णतः बंटवारा का बतलाया गया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान निम्न न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि उभय पक्षों के बीच प्रश्नगत भूमि का मामला बंटवारा का है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखने की कृपा की जाय।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतीत होता है कि उभय पक्षों के बीच प्रश्नगत भूमि का मामला बंटवारा से संबंधित है। अतः भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर विविध वाद संख्या 04/2017–18/01/2018–2019 बलराम साव बनाम तासो देवी वगै0 में दिनांक 28.08.2019 को पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है। संबंधित पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय का सहारा ले सकते है।

उपरोक्त मंतव्य के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 16:08:05 +05:30
Location: 192.168.0.4

संशोधित

माधवी मिश्रा
19.01.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
19.01.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।